राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि0
उद्योगभवन, तिलक–मार्ग, जयपुर–302005

क्रमांकः आईपीआई / पी–5 / परिपत्र / 2013 / 9368
दिनांकः 22 जनवरी, 2013

परिपत्र

विषयः संतृप्त औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / महिला श्रेणी के उद्यमियों को औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड आवंटन हेतु प्रकिया ।

रीको भू निपटान नियम 1979 के नियम 3 (ए) के उप नियम vii (a) के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / महिला श्रेणी के उद्यमियों को औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड आवंटन करने हेतु किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में 2000 वर्गमीटर तक के कुल नियोजित भूखण्डों का 5 प्रतिशत आरक्षण किये जाने का प्रावधान है। पूर्व में उक्त आरक्षण औद्योगिक क्षेत्र के संतृप्त घोषित होने तक ही रखे जाने का प्रावधान था लेकिन दिनांक 09.03.2012 को निगम के निदेशक मण्डल की आधारभूत विकास समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार उक्त आरक्षण, औद्योगिक क्षेत्र के संतृप्त घोषित हो जाने के उपरान्त भी भूखण्ड उपलब्ध होने की स्थिति में जारी रखे जाने का प्रावधान सम्बन्धित नियमों में कर दिया गया है ।

उक्त आरक्षित भूखण्डों को अनुसूचित जाति / जन जाति / महिला उद्यमियों की श्रेणी के आवेदकों को आवंटन करने हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं –

1. कार्यालय आदेश दिनांक 27.03.2012 भविष्यलक्षीय (prospectively) होगा अर्थात उक्त वर्णित 5 प्रतिशत आरक्षण उन्हीं औद्योगिक क्षेत्रों में जारी रहेगा जिनको आई.डी.सी. की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुकम में जारी कार्यालय आदेश दिनांक 27.03.2012 के पश्चात् संतृप्त घोषित किया गया है ।
2. उक्तानुसार संतृप्त घोषित औद्योगिक क्षेत्रों में यदि आरक्षण सीमा तक उपलब्ध भूखण्डों का आवंटन अनुसूचित जाति / जन जाति / महिला श्रेणी के उद्यमियों को नहीं हुआ है तो ऐसे शेष रहे भूखण्डों के आवंटन हेतु राज्य स्तरीय दो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर एक निश्चित तिथि तक उक्त श्रेणी के आवेदकों से आवेदन पत्र कुल उपलब्ध भूखण्डों की संख्या एवं विवरण दर्शाते हुए आमंत्रित किये जायेंगे।
3. नियत तिथि तक प्राप्त ऐसे सभी आवेदन पत्रों का परीक्षणोपरान्त निस्तारण, आवश्यक होने पर लॉटरी के माध्यम से किया जावेगा ।
4. यदि विज्ञापन में वर्णित तिथि तक उक्त श्रेणी के किसी भी आवेदक का आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो एतद्पश्चात उपलब्ध आरक्षित भूखण्डों का निस्तारण / आवंटन 'प्रथम आओ प्रथम पाओ' के सिद्धान्त के आधार पर उपरोक्त श्रेणी के आवेदकों को किया जा सकेगा ।
5. उक्त आवंटन प्रकिया में इकाई प्रमुख पूर्ण पारदर्शिता बरतेंगे एवं आवंटन की समय समय पर सूचना एम. एण्ड सी. प्रकोष्ठ, रीको, मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे ।

यह परिपत्र प्रबन्ध निदेशक महोदय से अनुमोदित है एवं सभी इकाई कार्यालयों द्वारा इसका पालन करना सुनिश्चित किया जावे ।

सलाहकार (इन्फ्रा)
22/1